न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, गुडामालानी (बाड़मेर)

पीठासीन अधिकारी श्री सुनील कुमार आर.ए.एस

प्रकरण संख्याः 66 / 2019

प्रार्थीगण

1. बाबूखान वल्द साकर
2. ईलमखान वल्द साकर
3. हयातखान वल्द साकर
4. सायरखान वल्द साकर
5. मिठाखान वल्द साकर
6. वलू वल्द अमीन
7. अलखु वल्द अमीन
8. सामीरखान वल्द हिन्दालखान
9. साजनखान वल्द हिन्दालखान
10. लखमीरखान वल्द हिन्दालखान
11. अब्दुलखान वल्द हिन्दालखान
12. ईनायतखान वल्द हिन्दालखान
13. मीरो पत्नी हिन्दालखान कौम मुसलमान साकिन धोलपालिया नाडा तहसील गुड़ामालानी जिला बाड़मेर

बनाम

विप्रार्थीगण

1. सकरदीन उर्फ सखर वल्द अली
2. कमाल वल्द वलिया कौम मुसलमान
3. रूपाराम वल्द खेताराम जाति जाट
4. सखी वल्द आगद कौम मुसलमान
5. कला वल्द आमद कौम मुसलमान
6. सखी वल्द वराणा
7. रेशी बेवा ईसा
8. साकर वल्द आदम
9. होती वल्द आदम
10. अमरा वल्द सरीफ
11. राजा वल्द सरीफ
12. मिसरा वल्द सरीफ
13. मखणी पत्नी सरीफ कौम मुसलमान
14. हासम वल्द अली
15. सरादीन वल्द अली कौम मुसलमान
    साकिन धोलपालिया नाडा ग्राम पंचायत मालपुरा तहसील गुड़ामालानी जिला बाडमेर
16. सलार खां वल्द आचार खां कौम मुसलमान साकिन मालपुरा
17. बचु वल्द रमदान
18. हाकम वल्द रमदान
19. सुीाान वल्द रमदान
20. नवाब खां वल्द सचूखां
21. रसूला खां वल्द सचूखां
22. इनायती पत्नी सचू खां कौम मुसलमान साकिन मालपुरा
23. मतू वल्द भेरा कौम मुसलमान साकिन मालपुरा
24. पिनल वल्द जानू
25. गफूर वल्द इंदा खां
26. राणी पत्नी ईदा खां कौम मुसलमान निवासी मालपुरा तहसील गुड़ामालानी
27. सकूर वल्द हकू कौम मुसलमान साकिन मालपुरा
28. सिरेमल वल्द उत्तमा
29. जगु वल्द उत्तमा

Signature Not Verified
Digitally signed by Sunil Kumar
Date: 2021.01.28 10:51:32 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
गुड़ामालानी

...लसी पत्नी उत्तमा कौम भील साकिन भीलों का गोल
...केहरी पत्नी रणजीता
...2. जोगा वल्द रणजीता कौम भील साकिन भीलों का गोल
33. तीजों पत्नी भीखा
34. डूंगरा वल्द पुरखा कौम जाट साकिन भीलों का गोल
35. देवू पुत्री खीमा
36. तेजा वल्द चेतन
37. कलू बेवा केसरा कौम जाट साकिन मालपुरा
38. तुलसा वल्द वीरा
39. माला वल्द वीरा
40. सुजा वल्द रिडमल फौत के कायम मुकाम :–
    40/1 खेताराम वल्द सूजा
41. शिवदान वल्द रिडमल कौम भील
42. गोरखा वल्द रामकिशन
43. राणा वल्द रामकिशन
44. मतंगला वल्द रामकिशन
45. मताराम वल्द हीराराम
46. शंकरलाल वल्द हीराराम
47. कानाराम वल्द हीराराम
48. कोकूदेवी पत्नी हीराराम कौम भील
49. राजू वल्द तगा
50. माला वल्द सूजा
51. अमलों पत्नी मूला
52. पता वल्द खूमा
53. काला वल्द खुमा कौम भील निवासी भीलों का गोल
54. हासम वल्द अली कौम मुसलमान साकिन धोलपालिया नाडा ग्राम पंचायत मालपुरा तहसील गुड़ामालानी जिला बाड़मेर
55. शाखा प्रबन्धक एस.बी.आई. शाखा गुड़ामालानी
56. तहसीलदार गुडामालानी जिला बाडमेर

<u>राजस्व आवेदन अन्तर्गत धारा 111, 128 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956</u>

उपस्थितः–

1. श्री डालूराम चौधरी अधिवक्ता प्रार्थीगण
2. विप्रार्थीगण अनुपस्थित

–:: आदेश ::–

दिनांक :–04–01–2020

प्रार्थीगण ने यह प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111 सपठित धारा 128 रा.भू.रा. अधिनियम के तहत सरहद मौजा धोलपालिया नाडा के खसरा नम्बर 486 रकबा 44–[illegible] खसरा नम्बर 417 रकबा 68–04 बीघा, खसरा नम्बर 421 रकबा [illegible] व ग्राम भीलों का गोल के खसरा नम्बर 406 [illegible] खसरा नम्बर 407 रकबा 175–05 बीघा का नेखम पैमाईश जरिये [illegible]थर गढी का विप्रार्थीगण के विरूद्ध पेश किया। प्रकरण दर्ज कर विप्रार्थीगण को जरिये सम्मन तलब किया गय। विप्रार्थीगण विरूद्ध बाबजूद नोटिस तामील अनुपस्थित रहने से एक पक्षीय कार्यवाही की गई।

Signature Not Verified
Digitally signed by Sunil Kumar
Date: 2021.01.28 10:51:32 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
गुड़ामालानी

हमने प्रार्थीगण की विद्वान अधिवक्तागण की एक पक्षीय बहस सुनी एवं पत्रावली का अवलोकन किया। न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत जमाबन्दी संवत् 2072–2075 सरहद मौजा धोलपालिया नाडा के खसरा नम्बर 486 रकबा 44–06 बीघा, ग्राम मालपुरा के खसरा नम्बर 417 रकबा 68–04 बीघा, खसरा नम्बर 421 रकबा 15–18 बीघा व ग्राम भीलों का गोल के खसरा नम्बर 406 रकबा 1–00 बीघा व खसरा नम्बर 407 रकबा 175–05 बीघा भूमि का अवलोकन किया। जिसमें प्रार्थीगण का नाम बतौर खातेदारी दर्ज है। प्रार्थीगण की भूमि के चारों ओर सीमा चिन्ह व पक्की माठे नहीं होने से काश्त व प्राकृतिक पैदावार लेते समय तनाव व विवाद की स्थिति पडौसी खातेदारों के साथ उत्पन्न हो जाती है जिससे बचने के लिये प्रार्थीगण अपनी भूमि की पक्की नेखमबन्दी करवाना चाहते है।

दोनों पक्षकारों की उपस्थिति में विवादित भूमि का सीमाज्ञान करवाकर पक्के नेखम स्थापित करवाने में कोई आपत्ति प्रतीत नहीं होने एवं प्रार्थीगण विवादित भूमि का राजस्व अभिलेख में खातेदार दर्ज होने से प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर तहसीलदार गुड़ामालानी को आदेशित किया जाता है दोनों पक्षकारों की उपस्थिति में विवादित खसरा सरहद मौजा धोलपालिया नाडा के खसरा नम्बर 486 रकबा 44–06 बीघा, ग्राम मालपुरा के खसरा नम्बर 417 रकबा 68–04 बीघा, खसरा नम्बर 421 रकबा 15–18 बीघा व ग्राम भीलों का गोल के खसरा नम्बर 406 रकबा 1–00 बीघा व खसरा नम्बर 407 रकबा 175–05 बीघा भूमि के सम्बन्ध में सीमाज्ञान करवाकर चारों ओर पक्के नेखम स्थापित करावें। पक्के नेखम स्थापित करवाने हेतु तहसीलदार गुड़ामालानी को 1500/– शुल्क पर कमीश्नर नियुक्त किया जाता है। कमीश्नर शुल्क प्रार्थीगण मौके पर अदा करेंगे। आवश्यकता होने पर तहसीलदार गुड़ामालानी को थानाधिकारी पुलिस थाना आर.जी.टी.नगर से पुलिस इमदाद प्राप्त करने हेतु अधिकृत किया जाता है। तहसीलदार गुड़ामालानी बाद पालना, पालना प्रतिवेदन प्रेषित करे। तहरीर जारी हो। पालना प्रतिवेदन प्राप्त होने पर शामिल पत्रावली किया जाकर पत्रावली फैसलसुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

Signature Not Verified

Digitally signed by Sunil Kumar
Date: 2021.01.28 10:51:32 IST
Reason: SelfAttested

आदेश आज दिनांक [illegible] को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(सुनील कुमार)
उपखण्ड अधिकारी, गुडामालानी

उपखण्ड अधिकारी
गुड़ामालानी